न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

प्रकरण क्रमांक/65/शिका/धारा 92/2017–18 दिनांक 28.05.2018

म.प्र. शासन
द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर, ... आवेदक

विरुध्द

1. श्रीमती रेखाबाई, ... अनावेदगण
   सरपंच
   ग्राम पंचायत एमागिर्द निवासी बोरगांवखुर्द
   तह.जिला– बुरहानपुर
2. श्री मुकेश हल्दे,
   प्रभारी सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक
   ग्राम पंचायत एमागिर्द
   निवासी बुरहानपुर, तह.जिला बुरहानपुर

(पारित आदेश दिनांक 07.03.2019)

प्रस्तुत प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा दिनांक 12.05.2018 को प्रस्तुत पत्र कमांक/4699/ज.पं./2018 दिनांक 12.05.2018 के आधार पर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/4699/ज.पं./2018 दिनाक 12.05.2018 में बताया है कि ग्राम पचायत एमागिर्द में 14 वित्त आयोग योजनान्तर्गत लकीभाई के घर से शेरू भाई के घर तक वार्ड नम्बर 16 में 192000/–रू. की स्वीकृती के आधार पर 102000/–रू. में घटिया सीसी रोड निर्माण की शिकायत एमागिर्द के पंच मुख्त्यार द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराई गई। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बुरहानपुर द्वारा अपने पत्र कमांक 2109 दिनांक 23.12.2018 में बताया है कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नही है एवं रोड की मोटाई मात्र 3 इंच है जबकि प्राक्कलन अनुसार मोटाई 8 इंच किया जाना चाहिए। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यात्रिकी सेवा बुरहानपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत अर्थात आवेदकगणों को यह भी निर्देशित किया है कि सिमेंट कांकीट कि एक ओर परत अलग से डाली जावे तथा भविष्य में अधूरे कार्य को गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पूर्ण किया जावें। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बुरहानपुर के इस निर्देश के 05 माह बाद पुनः रोड की जांच श्री हरीशंकर मालवीय ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन से कराई गई। जिसमें भी कार्य में कोई सुधार किया जाना नही पाया गया। इसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायत बुरहानपुर द्वारा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण में व्यय 102000/–की राशि समानुपातिक रूप से सरपंच ग्राम पंचायत एमागिर्द श्रीमती रेखाबाई एवं सचिव श्री मुकेश हल्दे से म.प्र. पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूलने का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है।

अनावेदक सरपंच ग्राम पंचायत एमागिर्द श्रीमती रेखाबाई द्वारा इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के लिखित जवाब दिनांक 26.07.2018 में बताया है कि उसके विरुद्ध पंच मुख्त्यार द्वारा की गई शिकायत पूर्णत मनगढत असत्य आधारहीन व दुर्भावना से की गई है, जिसे अमान्य कर इसी स्तर पर समाप्त किया जाने का अनुरोध किया है। अनावेदिका के अनुसार वार्ड कमांक 16 में लकी भाई के घर से शेरू भाई के घर तक सीसी रोड निर्माण पूर्णता 8 इंच मोटाई में प्राक्कलन अनुसार किया गया है। अनावेदिका ने शिकायतकर्ता की शिकायत दुर्भावना एवं राजनैतिक प्रतिद्वंधता के कारण किया जाना बताया है। अनावेदिका ने यह भी बताया है कि सीसी रोड निर्माण पश्चात संबंधित इंजीनियर द्वारा मापपुस्तिका में प्राक्कलन इंद्राज कर कार्य पूर्ण किया गया है। श्री मालवीया द्वारा दिनांक 05.05.18 को असत्य एवं मनगढत आधारो पर राजनैतिक दबाव में अनावेदिका को सूचित किये बिना गलत पंचनामा बनाया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अनावेदिका का यह भी कहना है कि मुख्त्यार पंच द्वारा राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था जो निरस्त हुआ है तथा एमागिर्द में शिकायतकर्ता मुख्त्यार एवं अन्य पंच द्वारा फर्जी रसीद कटटो के माध्यम से जलकर एवं अन्य करो की वसूली की जा रही थी, जिसके संबंध में अनावेदिका की रिपोर्ट से पुलिस थाना अजाक द्वारा अपराध कमांक 3/2017 अन्तर्गत धारा 420, 468, 294, 506 भा.द.वि. सहपठीत धारा 3(1)(2)(द)(ध)(ड) पंजीबद्ध किया है। इस

प्रकरण में दबाव डालने की नियम से मुख्त्यार पंच द्वारा यह शिकायत की गई है। इस प्रकार शिकयत को झूठी बताते हुए उसे नस्तीबद्ध करने का निवेदन अनावेदिका द्वारा किया गया है।

साक्षी श्री अनिल पंवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा अपने शपथ पूर्वक कथन दिनांक 11.4.2018 में बताया है कि वह 20.07.2017 से वर्तमान तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर के पद पर कार्यरत है। ग्राम पंचायत एमागिर्द के सरपंच सचिव द्वारा पंच परमेश्वर योजना में लकी से शेरू भाई के घर तक सीसी रोड निर्माण किया है. उस रोड की गुणवत्ता खराब होने के कारण उसकी शिकायत मुख्त्यारसिंह द्वारा की गई थी। कार्य की जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बुरहानपुर द्वारा की जाकर दिनांक 24.01.2018 को ग्राम पंचायत को उक्त कार्य को कंकीट की 01 ओर परत डाली जाकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। जनपद पंचायत के स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक द्वारा दिनांक 05.05.2018 को बनाये पंचनामे में भी कार्य में कोई सुधार नही पाया गया। जिसके कारण उसके द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 12.05.2018 को भेजकर प्रकरण दर्ज कराया गया। प्रतिवेदन कमांक/4699/दिनांक 12.05.2018 के A से A भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

शासन साक्षी श्री हरीशंकर मालवीय स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा अपने शपथ पूर्वक कथन दिनांक 20.11.2018 में बताया है कि उसके द्वारा एमागिर्द के वार्ड नम्बर 16 में दिनांक 05.05.2018 को जांच के दौरान बनाया गया सीसी रोड अधुरा पाया गया था जिसका पंचनामा उसके द्वारा पंच मुख्त्यार एवं अन्य पंचगणों के समक्ष बनाया गया था। यह पंचनामा पदर्श P1 है। जिसके A से A भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में श्री हरीशंकर मालवीय ब्लॉक समन्वयक एसबीएम द्वारा बताया है कि मौके पर रोड बनाया है एवं पंचनामा राजनैतिक स्पेश एवं वरिष्ठ अधिकारी के दबाव में बनाये जाने से मना किया है।

शिकायतकर्ता पंच श्री मुख्त्यार द्वारा अपने शपथ पूर्वक कथन दिनांक 30.01.2019 में बताया है कि वह ग्राम पंचायत एमागिर्द के वार्ड कमांक 16 का निर्वाचित पंच है, और उसके द्वारा ग्राम पंचायत एमागिर्द में 14 वित्त योजना में लकी भाई के घर से शेरू के घर तक सीसी रोड निर्माण की शिकायत गलतफेहमीवश कर दी गई थी, क्योकि उस समय अविश्वास प्रस्ताव का माहोल चल रहा था। वर्तमान में मौके पर 8 इंच मोटाई का सीसी रोड बना है, जिसकी शिकायत बिना किसी दबाव के वापस लेना चाहता है।

अनावेदिका श्रीमती रेखाबाई सरपंच ग्राम पंचायत एमागिर्द द्वारा अपने शपथ पूर्वक कथन दिनांक 30.01.2019 में बताया है कि वह ग्राम पंचायत एमागिर्द की निर्वाचित सरपंच है, पूर्व में ग्राम पंचायत एमागिर्द द्वारा 2017 में 14 वे वित्त योजना में वार्ड में लक्की भाई के घर से शेरू भाई के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया है। उस समय पंच मुख्त्यार खा द्वारा गलत फेहमीवश रोड के संबंध में शिकायत की गई थी। जिस पर से यह प्रकरण चल रहा है। मुख्त्यार खा आज स्वंय न्यायालय में उपस्थित है तथा वह अपनी शिकायत पर कोई कार्यवाही नही चाहता तथा उसने गलत फेहमी में शिकायत कर दी थी क्योकि उस समय अविश्वास प्रस्ताव का माहौल चल रहा था। ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड कमांक 16 में लक्की भाई के घर से शेरू ड्रायवर/रफीक भाई के घर तक सीसी रोड का विधिवत नियमानुसार निर्माण कार्य किया गया है तथा सीसी रोड निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 8 ईच मोटाई में बनाया गया है तथा मौके पर आज भी रोड निर्मित होकर आम जनता के आवागमन के उपयोग में आ रहा है। पंचायत द्वारा निर्मित रोड के संबंध में जनपद पंचायत द्वारा सीसी भी जारी की गई है। मैने निर्मित रोड के उस समय के फोटोग्राफ भी पेश किये है जो पदर्श D 1 D 2 D 3 D 4 है की गई शिकायत, दुरभावनावश और राजनिति प्रतिद्वंधिता के कारण की गई है इस कारण शिकायत को समाप्त की जायें। मेरा यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत के अन्य पंच हारून व नईम के विरूद्व मेरे द्वारा रिपोर्ट की गई थी जिस पर उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है उस प्रकरण में मुझ पर राजीनामा करने के लिए दबाव डालने के लिए यह झूठी शिकायत की गई है। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श D 5 है।

ग्राम पंचायत सरपंच एमागिर्द के साक्षी श्री मुस्ताक अली द्वारा अपने शपथ पूर्वक कथन दिनांक 30.01.2019 में बताया है कि वह ग्राम पंचायत एमागिर्द के वार्ड कमांक 16 में रहता है जिसके 14 वित्त योजना लकी भाई के घर से शेरू भाई के घर तक 8 इंच मोटाई का सीसी रोड निर्माण किया गया है इस पर आमजनता का आवागमन हो रहा है इस कथन का समर्थन शब्दशाह श्री मुमताज अली द्वारा भी किया गया है।

अनावेदिका उपयंत्री श्री सुषमा राजने द्वारा कारण बताओं नोटिस दिनांक 21.05.2018 के लिखित जवाब दिनांक 28.05.2018 में बताया है कि ग्राम पंचायत एमागिर्द में वार्ड नं. 16 में लकी भाई के घर से शेरू ड्रायवर के घर तक सीसी रोड निर्माण के संबंध में जो वसूली उसके विरूद्ध निर्धारण की गई है वह कार्य उसके कार्यकाल का नही है बल्की ततसमय वह महितपुर जिला उज्जैन में पदस्थ थी, परन्तु सीसी रोड निर्माण कार्य की जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बुरहानपुर द्वारा करने के दौरान वह और सहायक यंत्री सोलंकी मौके पर उपस्थित थे जांच में शिकायत सही पाई गई थी तथा मौके पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बुरहानपुर द्वारा निर्माण कार्य में सुधार करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु सरपंच/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कोई सुधार कार्य नही कराया है जिसके कारण वसूली की स्थिति निर्मित हुई। इस आधार पर श्रीमती राजने द्वारा उसके विरूद्ध जारी कारण बताओं सूचना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अनावेदिका के द्वारा अपने तर्को में बताया है कि अनावेदिका द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का विधिवत जवाब दिनांक 26.07.2018 को दिया गया है। शासन साक्षी श्री अनिल पंवार ने अपने कथन में मौके पर रोड बना हुआ बताया है मात्र 01 परत कम होना बताई है। अनावेदिका के विद्धवान अभिभावक ने यह भी तर्क दिया है कि शासन साक्षी श्री मालवीय द्वारा प्रतिपरीक्षण में मौके पर रोड बना होना स्वीकार करके पंचनामें में उल्लेख नही करना बताया है। इस प्रकार रोड की गुणवत्ता संदेह से परे सिद्धं नही है। शिकायतकर्ता मुख्त्यार द्वारा भी गलत फहमीवश शिकायत करने एंव मौके पर रोड बने होने की बात अपने कथन में कही जाकर शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया है। इन आधारो पर अनावेदिका के विद्धवान अभिभावक द्वारा प्रकरण समाप्त करने का अनुरोध किया है।

अनावेदक सचिव श्री हल्दे द्वारा कारण बतों सूचना पत्र दिनांक 21.05.2018 का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है।

मेरे द्वारा शासन पक्ष के प्रतिवेदन साक्षीयों के बयान, पंचनामा पदर्श P1 अनावेदिका के जवाब, कथन एवं बचाव साक्षीयों के कथनों का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया जाता है, कि :-

1. ग्राम पंचायत एमागिर्द में पंच परमेश्वर 14 वित्त आयोग योजनान्तर्गत लकी भाई के घर से शेरू भाई के घर तक वार्ड नं. 16 में 192000/--का सीसी रोड निर्माण स्वीकृत किया गया था, जिस पर 102000/- रूपये अनावेदकगणों द्वारा व्यय किये गये है, जिसकी स्वीकारोक्ति अनावेदिका द्वारा भी की गई है।
2. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बुरहानपुर के प्रतिवेदन, में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर के प्रतिवेदन एवं बयान, श्री हरीशंकर मालवीया ब्लॉक समन्वयक एसबीएम पंचनामा/बयान, प्रदर्श P1 एवं श्रीमती सुषमा राजने के लिखित जवाब से यह सिद्ध है कि ग्राम पंचायत एमागिर्द में वार्ड नं 16 मे लकी भाई के घर से शेरू ड्रायवर के घर तक सीसी रोड निर्माण उचित गुणवत्ता का नही बनाया गया है। अनावेदिका द्वारा रोड की गुणवत्ता के संबंध में मात्र ग्रामीणों के कथन कराये गये है। किसी भी तकनिकी व्यक्ति के बयान एवं प्रतिवेदन रोड की गुणवत्ता के संबंध मे अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है।
3. शिकायतकर्ता मुख्त्यार के विरूद्ध एमागिर्द द्वारा अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का उल्लेख अपने जवाब में गलत किया है क्योकि एफआईआर दिनांक 30.03.2017 में श्री मुख्त्यार का नाम नही है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कोई दस्तावेज अनावेदिका द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नही किये गये है।
4. चूकी रोड निर्माण कार्य में शासन की निधि का दुरूपयोग हुआ है जिसके संबंध में शिकायतकर्ता श्री मुख्त्यार द्वारा शिकायत वापस लेने संबंधी बयान के आधार पर शासकीय राशि के दुरूपयोग के प्रकरण को समाप्त नही किया जा सकता।

उक्त आधारों पर शासन पक्ष अपना आवेदन सिद्ध करने में सफल रहा है। अनावेदकगणों द्वारा ग्राम पंचायत एमागिर्द के वार्ड कमांक 16 में लकी के घर से शेरू ड्रायवर के घर तक गुणवत्ता विहिन सीसी रोड निर्माण कर 102000/--का दुरूपयोग किया गया है। जिसकी वसूली शासनहित में पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अनावेदक श्री मुकेश हल्दे एवं अनावेदिका श्रीमती रेखाबाई सरपंच एमागिर्द प्रकरण में उल्लेखित घटिया रोड निर्माण के उपयोग में ली गई राशि 102000/-रू को समानुपातिक रूप से 51000 रू. - 51000 रूपये 15 दिवस में ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने के निर्देश धारा 92 के प्रावधानों के तहत दिये जाते है। राशि जमा न करने की स्थिति में सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती रेखाबाई को ग्राम पंचायत के सरपंच के पद से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।

आदेश आज दिनांक 07.03.2019 को खुले न्यायालय में जारी कर पढकर सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
IAS
विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

<u>प्रतिलिपि,</u>

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर